

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक :चि.प्र./नि:शक्तजन/2017/ 717 - 31

दिनांक: 22-9-17

### विडियो कॉन्फ्रेंस सूचना

राज्य में पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों के द्वितीय चरण (नि:शक्तता प्रमाणीकरण शिविर) के आयोजन हेतु प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों एवं पंचायत समिति मुख्यालयों स्थित DOIT केन्द्र पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23 सितम्बर, 2017 को प्रातः 9.30 बजे से 11.00 बजे तक अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन जयपुर के मीटिंग हॉल से अभियान के द्वितीय चरण के प्रमाणीकरण के संबंध में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जायेगी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी अपने जिला मुख्यालय तथा पंचायत समिति मुख्यालय स्थित DOIT केन्द्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। :-

जिला मुख्यालय :-

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग-संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक मय सूचना सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ उपस्थित हो।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-उप निदेशक/सहायक निदेशक मय सूचना सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ उपस्थित हो।

पंचायत समिति मुख्यालय :-

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी मय सूचना सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ उपस्थित हो।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./नि:शक्तजन/2017/ 717 - 31

दिनांक: 22-9-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज संलग्नक चिकित्सालय राजस्थान को भेजकर लेख है कि संबंधित को अपने स्तर से वीसी में उपस्थित होने हेतु पाबंद करें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षक मेडिकल कॉलेज, संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड व मेल कराना सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर